



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2011/फाल्गुन 12, 1932

No. 45]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2011/PHALGUNA 12, 1932

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

पुदुच्चेरी, 9 फरवरी, 2011

फा.सं.जे.आई.पी./डी.डी.ए/2011.—

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुच्चेरी केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से (कृपया दिनांक 4 फरवरी 2011 का पत्र सं. F.No.A12034/24/2008-ME-III, देखें) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 2008(19) की धारा 30(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विनियम 2008 के अनुसूची VI के खंड I तथा अनुसूची VI के उपाबंध I में संशोधन करते हुए निम्न लिखित विनियम बनाता है।

1) इस विनियमों को जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुच्चेरी (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जायेगा।

2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

2. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम 2008 की अनुसूची VI के खंड I और अनुसूची VI के संलग्नक I के वेतनमान निम्नानुसार पढ़े जायेंगे।

अनुसूची VI खण्ड 1

निदेशक : निदेशक, जिपमेर भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए। निदेशक के पद (रु. 80,000 नियत + व्यवसाय निषेध भत्ता) पर नियुक्ति उस तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए सावधिक नियुक्ति होगी जिसको वह कार्यभार ग्रहण करता है या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है जो भी पहले हो, शैक्षिक अर्हता एवं आयु आदि उपबंध -- 1 के रूप में यथा उपदर्शित है।

वेतनमान अनुसूची VI उपाबंध 1

“रु. 80,000 नियत + व्यवसाय निषेध भत्ता (वेतन+व्यवसाय निषेध भत्ता रु. 85,000/- के ऊपर न हो)”

संस्थान के प्राधिकार से,
डॉ. के.एस.वी.के. सुब्बा राव, निदेशक, जिपमेर
[दिनांक III/4/330-जी/10/असा.]

टिप्पणी : जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का मूल विनियम जिपमेर अधिनियम 2008, 14 जुलाई 2008 के अधिसूचित होने के बाद दिनांक 04 अगस्त 2008, पत्र सं. एफ.सं.ए. 12034/24/2008-एम.ई.-III को जारी किया गया है।

**JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH
NOTIFICATION**

Putucherry, the 9th February, 2011

F.No. JIP/DDA/2011.—

In exercise of the powers conferred by Section 30(1) of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Putucherry Act 2008 (19) of 2008), the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, with the previous approval of the Central Government (vide Letter No. F.No. A.12034/24/2008-ME, III dated 04th February 2011) hereby makes the following regulations further to amend Clause 1 of the Schedule VI and Annexure 1 to the Schedule VI of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Regulations 2008 namely.

- 1) These Regulations may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (Amendment) Regulations, 2011.
- 2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research Regulations, 2008, Clause I of the Schedule VI and the Pay Scale in Annexure I to the Schedule VI shall be read as under:

Clause I of the Schedule VI:

“Director: Director, JIPMER shall be an Indian Citizen or an Overseas citizen of India. The appointment to the post of Director (Rs.80,000 fixed + NPA) shall be a tenure appointment for a period of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years whichever is earlier. The educational qualification, the age etc. is as indicated as Annexure-I”.

Pay Scale in Annexure I to the Schedule VI:

“Rs.80000/- fixed + NPA (Pay + NPA does not exceed Rs. 85,000/-)”.

By the Authority of the Institute,
DR. K.S.V.K. SUBBARAO, Director, Jipmer
[ADVT. II/4/330-G/10/Exty.]

Note The principal regulation of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, was first issued on 4th August, 2008 vide F.No. A. 12034/18/2008-ME.III following to the notification of the JIPMER Act, 2008 on 14th July, 2008.